अध्याय I

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों, ट्रेजरी बिलों के जारी होने से उत्पन्न सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण तथा ऋणों की अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियां शामिल होती है। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 में वित्तीय वर्ष 2017-18 (विव18) और विव17 के लिए स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	विव18	**विव 17**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	23,64,148	22,23,988
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	10,02,738	8,49,801
ii. *अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	9,16,445	8,66,167
iii. *गैर-कर प्राप्तियां*	4,41,383	5,06,721
iv. *सहायता अनुदान एवं अंशदान*	3,582	1,299
ख. विविध पूंजी प्राप्तियां[2]	1,00,049	47,743
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली[3]	70,639	40,971
घ. लोक ऋण प्राप्तियां[4]	65,54,002	61,34,137
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**90,88,838**	**84,46,839**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे।

टिप्पणी: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां संघ वित्त लेखे से तैयार की गई है। कुल राजस्व प्राप्ति में विव18 में ₹6,73,005 करोड़ और विव17 में ₹6,08,000 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की निवल प्राप्तियों का हिस्सा जो सीधे तौर पर राज्य को दिया गया शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में विव17 में ₹ 84,46,839 करोड़ से विव18 में ₹ 90,88,838 करोड़ तक वृद्धि हुई। विव18 में, इसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 23,64,148 करोड़ थी जिसमें ₹ 1,40,160 करोड़ की वृद्धि हुई जोकि पूर्व वर्ष की तुलना में 6.30 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें ₹ 19,19,183 करोड़ की

---

2 इसमे बोनस शेयर की मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश, और अन्य प्राप्तियां शामिल है;

3 संघ सरकार द्वारा की गई ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां;

4 आंतरिक के साथ -साथ बाह्य रूप से भारत सरकार द्वारा उधार लेना।

सकल कर प्राप्तियां शामिल है जिसमें अन्य करो सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 9,16,445 करोड़ सम्मिलित है।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वित्त18 तक की गई लेखापरीक्षा पर आधारित है और जिसमे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की उगाही और संग्रहण के संव्यवहार शामिल है। उस तिथि तक प्रचलित मुख्य अप्रत्यक्ष कर पर चर्चा नीचे की गई है;

क) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उदग्रहित किया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्रू माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 84)

ख) **सेवा कर:** सेवा कर को कर योग्य क्षेत्र के भीतर दी जाने वाली सेवाओं पर उदग्रहित किया जाता था (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 97)। सेवा कर किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 बी में प्रावधान है कि सभी सेवाओं, ऋणात्मक सूची में निर्धारित अन्य के अलावा, की कीमत पर, जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा कर योग्य क्षेत्र मे दी गई अथवा दी जाने हेतु सहमति दी गई और निर्धारित[5] किया जाये कि इस तरह से संग्रहित किया जा सकता है, 14 प्रतिशत की दर से कर उदग्रहित किया जाता था। 'सेवा' को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65 बी (44) में इस आशय से परिभाषित किया गया था कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए

5 धारा 6बी को वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1 जूलाई 2012 से अन्तर्निविष्ट किया गया था; धारा 66डी उन वस्तुओं की सूची देता है जिसमें ऋणनात्मक सूची शामिल है।

किये गये प्रतिफल (इसमें छोड़ी गई मदों से अन्य) के लिए कोई गतिविधि और घोषित सेवा[6] को शामिल किया जाए।

ग) **सीमा शुल्क:** सीमा शुल्क भारत में वस्तुओं के आयात और भारत बाहर से कुछ निश्चित वस्तुओं के निर्यात पर उदग्रहित किया जाता है (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 83)

घ) **वस्तु एवं सेवा कर:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वह कर है जो, मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थों को छोड़कर, वस्तुओं की आपूर्ति, अथवा सेवाओं अथवा दोनों पर लाया जाता है जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावित भारत में है (भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (12ए) (8 जुलाई 2017 से जम्मू व कश्मीर सहित)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर, सीमा शुल्क के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) घटक और राज्य के अधिकतर अप्रत्यक्ष कर को (मानव उपभोग के लिए मादक पदार्थों को छोड़कर) जीएसटी में शामिल किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पांच पेट्रोलियम उत्पादों पर निरंन्तर जारी है क्योंकि ये उत्पाद वर्तमान में जीएसटी से बाहर है और बाद में जीएसटी में शामिल किया जाएगा। तंबाकू उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अध्यधीन है। जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है अर्थात कर उस राज्य में देय है जहां वस्तुए अथवा सेवाएं अथवा दोनों का अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है। जीएसटी के अतिरिक्त, एक उपकर जीएसटी प्रतिकर उपकर कुछ वस्तुओं अर्थात तंबाकू उत्पादों, कोयला, एरिएटेड वाटर, मोटर कार आदि पर उदग्रहित किया जाता है।

निम्नानुसार जीएसटी के तीन घटक है:

- **केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य/संघ क्षेत्र के भीतर वस्तुओं और सेवा की आपूर्ति पर केन्द्रीय सरकार को देय।

6 वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देता है।

- **राज्य/संघ क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी):** राज्य/संघ क्षेत्र के भीतर वस्तु एवं वस्तुओं की आपूर्ति पर राज्य/संघ क्षेत्र सरकार को देय।
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी):** वस्तुओं और सेवाओं की अन्तरराज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा उदग्रहित की जाती है। समान आईजीएसटी भारत में आयातों पर भी उदग्रहित की जाती है। आईजीएसटी को वस्तु और सेवाएं कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा विधि द्वारा बनाई जाने वाली पद्धति में संघ एवं राज्य के बीच विभाजित की जाएगी।

यह अध्याय वित्त लेखे, विभागीय लेखे के डाटा और सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में उपलब्ध संबंधित डाटा का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर में प्रवृत्ति, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दो पर चर्चा करता है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करता हैं और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय कर से संबंधित मुद्दो का समन्वय दो सांविधिक बोर्डों के माध्यम से करता है जिनके नामत, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पूर्व में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जो केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 के अन्तर्गत गठित है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी की उगाही और संग्रहण से संबंधित मामलों को सीबीआईसी द्वारा देखा जाता है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीआईसी द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, कमिश्नरियों के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, जीएसटी के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, 16 जून 2017 से देश को प्रधान मुख्य कमिश्नर/मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में जीएसटी के 21 जोनों में विभाजित किया गया। इन 21 जोनों के अन्तर्गत, 107 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर कमिश्नरियां हैं जो जीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सं सम्बन्धित हैं और मुख्य आयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में कार्य करती है। डिवीजन और

रेंज बाद की संरचना हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमश: उप/सहायक आयुक्त और अधीक्षक करते है। इन केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर कमिश्नरियों के अतिरिक्त 49 जीएसटी अपीलीय कमिश्नरियां, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और 22 महानिदेशक/निदेशक हैं जो विशिष्ट कार्यों में व्यवहार कर रहें है।

1 जनवरी 2018 को सीबीआईसी की संपूर्ण स्वीकृत कर्मचारी संख्या 91,628 थी।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्तियां एवं संयोजन

तालिका 1.2 में विव14 से विव18 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर*	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
विव14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
विव15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
विव16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
विव17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24
विव18	9,13,486	1,67,73,145	5.45	19,19,184	47.59

स्रोत: कर राजस्व- संघ वित्तीय लेखे, जीडीपी- सीएसओ[7] का प्रैस नोट,

*अप्रत्यक्ष कर, में सीएक्स, एसटी, जीएसटी, सीमा शुल्क और अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर करों से प्राप्त राजस्व शामिल है

यह देखा गया है कि अप्रत्यक्ष कर संग्रहण, जीएसटी प्रतिकर उपकर सहित में विव17 की तुलना में विव18 में ₹ 51,335 करोड़ (5.95 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह विव17 में 5.68 प्रतिशत से विव18 में 5.45 प्रतिशत तक कम हो गई। सकल कर राजस्व में इनका हिस्सा भी विव17 में 50.24 प्रतिशत से विव18 में 47.59 प्रतिशत तक कम हो गया।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - संबंधित योगदान

तालिका 1.3 विव14 से विव18 की अवधि के लिए जीडीपी शर्तों में प्रमुख अप्रत्यक्ष कर घटकों के प्रक्षेपपथ को दर्शाती है।

---

7 केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांखिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2018 को जीडीपी पर एक प्रैस नोट जारी किया गया।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सीई राजस्व	एसटी राजस्व	जीएसटी राजस्व	(सीई+एसटी+ जीएसटी) राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में (सीई+एसटी+ जीएसटी) राजस्व	सीमा शुल्क	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
विव14	1,13,45,056	1,69,455	1,54,780		3,24,235	2.86	1,72,085	1.52
विव15	1,25,41,208	1,89,038	1,67,969		3,57,007	2.85	1,88,016	1.5
विव16	1,35,76,086	2,87,149	2,11,415		4,98,564	3.67	2,10,338	1.55
विव17	1,51,83,709	3,80,495	2,54,499		6,34,994	4.18	2,25,370	1.48
विव18	1,67,73,145	2,58,636	81,229	4,44,197	7,84,062	4.67	1,29,030	0.77

स्रोत: कर प्राप्तियों के आकड़े सबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखा के अनुसार हैं-

जीएसटी राजस्व में सीजीएसटी (₹ 2,03,261 करोड़), आईजीएसटी (₹ 1,76,688 करोड़), यूटीजीएसटी (₹ 1,635 करोड़) और प्रतिकर उपकर (₹ 62,612 करोड़) शामिल किया गया।

हालांकि, जीडीपी की तुलना में अप्रत्यक्ष करों के विश्लेषण और पिछले वर्षों के राजस्व से तुलना करने के उद्देश्य हेतु ₹ 62,612 करोड़ की जीएसटी प्रतिकर उपकर की राशि को जीएसटी राजस्व से बाहर रखा जाना चाहिए जैसा जीएसटी अधिनियम (राज्यों के लिए प्रतिकर), 2017 की धारा 10(1) में प्रावधान किया गया है कि जीएसटी उपकर की देय राशि को गैर व्यपगत निधि के रूप में क्रेडिट किया जाएगा, जिसे वस्तु और सेवा कर प्रतिकर निधि के रूप में माना जाता है जो भारत के लोक लेखे का हिस्सा होगा। तदनुसार, जीएसटी राजस्व से जीएसटी प्रतिकर उपकर को निकालने के बाद, यह देखा गया कि अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों[8] में विव17 से विव18 में ₹ 11,277 करोड़ की कमी हुई है जैसा चित्र 1.1 में नीचे दर्शाया गया है। पिछले वर्ष से अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में कमी का एक कारण यह है कि मार्च के महीने के लिए जीएसटी आगामी महीने में संग्रहित की जाती है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विपरीत जो मार्च के महीने में ही संग्रहित किये गए थे। मार्च

8 अप्रत्यक्ष कर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और मद और सेवाओं पर अन्य कर शामिल है।

2018 के महीने के लिए जीएसटी की राशि ₹ 32,179 करोड़[9] थी, जिसे अप्रैल 2018 में संग्रहित किया गया था।

चार्ट 1.1: अप्रत्यक्ष कर प्रवृत्ति विश्लेषण

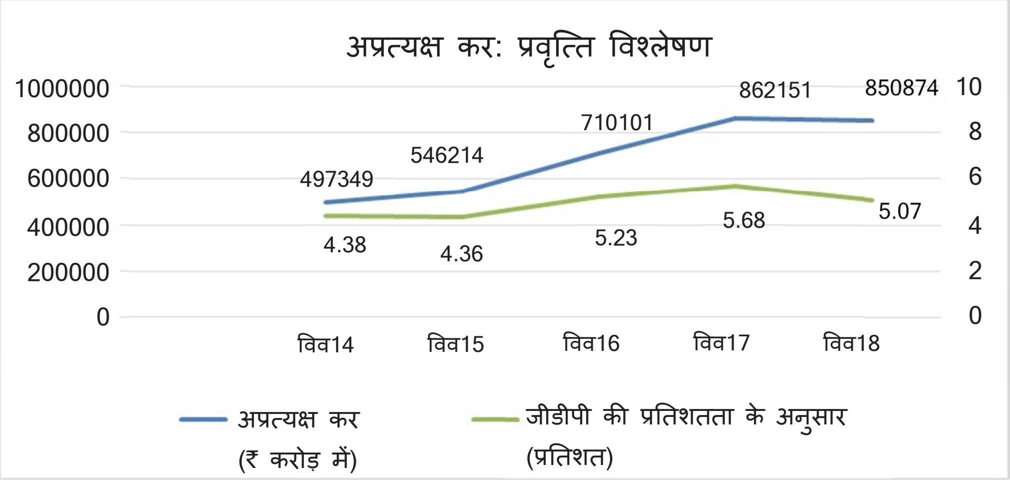

1.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियों के साथ साथ सेनवेट क्रेडिट उपयोग

कोई विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता निवेश पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद के शुल्क अथवा निवेश सेवाओं पर प्रदत्त सेवाकर के साथ साथ पूंजीगत वस्तुओं का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के भुगतान में प्राप्त क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।

तालिका-1.4 विव16 से विव18 के दौरान व्यक्तिगत लेखा बही (पीएलए) अर्थात नकद और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण को दर्शाती है।

9 अप्रैल 2018 माह के लिए सीजीएसटी ₹ 32,089 करोड़ है और अप्रैल 2018 के माह के लिए यूटीजीएसटी ₹ 90 करोड़ है।

तालिका 1.4: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां और सेनवेट उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए के माध्यम से प्रदत्त सीई शुल्क		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त सीई शुल्क		पीएलए भुगतानों के प्रतिशत अनुसार सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सीई शुल्क
	राशि#	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	राशि*	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
विव16	2,87,149	51.90	3,10,335	6.39	108.07
विव17	3,80,495	32.51	3,39,274	9.33	89.17
विव18	2,58,636	(-)32.03	99,808	(-)70.58	38.59

स्रोत: #संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे।
* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

यह देखा गया कि पीएलए के माध्यम से किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व भुगतान विव18 में ऋणात्मक वृद्धि को दिखाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कार्यान्वयन करने के बाद से है, सभी वस्तुएं, पांच पेट्रोलियम उत्पादों और तम्बाकू उत्पादों को छोड़कर, जीएसटी में शामिल कर लिया गया था। यह भी देखा गया कि पीएलए भुगतान के प्रतिशत के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विव18 में भी कम हो गया है।

तालिका 1.5 विव16 से विव18 के दौरान पीएलए और सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से सेवाकर उगाही की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.5: सेवा कर प्राप्तियां और सेनवेट उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए के माध्यम से प्रदत्त एसटी		सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त एसटी		पीएलए भुगतानों के प्रतिशत के रूप में सेनवेट क्रेडिट से किये गये एसटी भुगतान
	राशि#	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	राशि *	पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
विव16	2,11,415	25.87	1,10,823	34.22	52.42
विव17	2,54,499	20.38	1,24,057	11.94	48.75
विव18	81,229	(-)68.08	38,915	-68.63	47.91

स्रोत: # संघ वित्तीय लेखे का संबंधित वर्ष। विव18 के आकड़े अंनतिम है
* मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आकड़े।

1 जुलाई 2017 से प्रभावी जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद सेवाकर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इसलिए, सेवा कर राजस्व और सेनवेट

उपयोग के लिए आकड़े पूर्व वर्षों की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि को दिखाते है। यह भी देखा गया है कि पीएलए के प्रतिशत के रूप में सेनवेट क्रेडिट से किये गये सेवा कर भुगतान के प्रतिशत को विव18 में ऋणात्मक वृद्धि में दिखाया गया है।

1.7 मुख्य वस्तुओं से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, पांच पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, डीजल, पैट्रोल, प्राकृतिक गैस और एयर टरबाइन ईंधन) और तंबाकू उत्पाद[10] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में रखे गए हैं। हालांकि, तंबाकू उत्पादों, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन है, पर 1 जुलाई 2017 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना सं. 11/2017 दिनांक 30 जून 2017 द्वारा प्रभावी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शून्य था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से विव18 के दौरान इन दो वस्तुओं की श्रेणियों से राजस्व को तालिका 1.6[11] में दर्शाया गया है

तालिका 1.6: पेट्रोलियम और तंबाकू वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वस्तुएं	विव16	विव17	विव18
पेट्रोलियम उत्पाद	1,80,734	2,43,748	2,43,592
तंबाकू उत्पाद	21,463	19,846	6,010
अन्य	84,952	1,16,901	9,034
कुल	2,87,149	3,80,495	2,58,636

स्रोत:- डीडीएम-सीई-1 विवरणी में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तंबाकू उत्पादों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी का कारण यह है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, जीएसटी और जीएसटी प्रतिकर उपकर तंबाकू उत्पादों पर लगाया जा रहा है और प्रभावी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शून्य हो गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व के संबंध में यह देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में विव17 में ₹ 63,014 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, विव17 से विव18 में पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई। जब अनुरोध किया गया, मंत्रालय ने (मार्च 2019) पेट्रोलियम क्षेत्र में

10 तंबाकू उत्पाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी दोनों के अधीन हैं।

11 मंत्रालय ने डीडीएम-सीई-1 के रूप में पेट्रोलियम क्षेत्र के नवीनतम राजस्व आकड़ें उपलब्ध कराये, जो पूर्व में उपलब्ध कराये गए आंकडों से भिन्न हैं।

राजस्व में मामूली कमी के लिए अक्टूबर 2017 से मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर शुल्क की दर में ₹ 2 प्रति लीटर की कमी को जिम्मेदार ठहराया था।

1.8 बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां

तालिका 1.7 और 1.8 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर और जीएसटी प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान और संबंधित वास्तविकताओं की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां (सीई, एसटी और जीएसटी)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान		संशोधित बजट अनुमान			वास्तविक प्राप्तियां		
	सीई	एसटी	सीई	एसटी	जीएसटी	सीई	एसटी	जीएसटी
विव14	1,97,554	1,80,141	1,79,537	1,64,927		1,69,455	1,54,780	
विव15	2,07,110	2,15,973	1,85,480	1,68,132		1,89,038	1,67,969	
विव16	2,29,809	2,09,774	2,84,142	2,10,000		2,87,149	2,11,415	
विव17	3,18,670	2,31,000	3,87,369	2,47,500		3,80,495	2,54,499	
विव18	4,06,900	2,75,000	2,76,995	79,507	4,44,631	2,58,636	81,229	4,44,197

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे और प्राप्ति बजट दस्तावेज।

यह देखा गया कि बजट अनुमानों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए बनाया गया था जबकि संशोधित अनुमानों को जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद बनाया गया था और तदनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के लिए संशोधित अनुमानों को कम कर दिया गया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व उगाही ₹ 18,359 करोड़ (6.63 प्रतिशत) तक कम हो गया, जबकि सेवा कर में ₹ 1,722 करोड़ (2.17 प्रतिशत) तक की वृद्धि और जीएसटी में ₹ 484 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तक की कमी हो गई।

तालिका 1.8: बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों (सीई,एसटी और जीएसटी) के बीच भिन्नता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (सीई+एसटी)	संसोधित बजट अनुमान (सीई+एसटी+ जीएसटी)	वास्तविक प्राप्तियां (सीई+एसटी+ जीएसटी)	वास्तविक और बीई के मध्य भिन्नता	वास्तविक और आरई के मध्य भिन्नता	वास्तविक और बीई के मध्य प्रतिशत भिन्नता	वास्तविक और आरई के मध्य प्रतिशत भिन्नता
विव14	3,77,695	3,44,464	3,24,235	(-)53,460	(-)20,229	(-)14.15	(-)5.87
विव15	4,23,083	3,53,612	3,57,007	(-)66,076	3,395	(-)15.62	0.96
विव16	4,39,583	4,94,142	4,98,564	58,981	4,422	13.42	0.89
विव17	5,49,670	6,34,869	6,34,994	85,324	125	15.52	0.02
विव18	6,81,900	8,01,133	7,84,062	1,02,162	(-)17,071	14.98	(-)2.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे और प्राप्ति बजट दस्तावेज। विव18 के वास्तविक प्राप्तियां के आकड़े अंनतिम है।

विव18 में सीई, एसटी, और जीएसटी का वास्तविक राजस्व संसोधित अनुमानों से ₹ 17,071 करोड़ (2.13 प्रतिशत) कम था जबकि बजट अनुमानों की तुलना में यह ₹ 1,02,162 करोड़ (14.98 प्रतिशत) अधिक था।

1.9 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत छोड़ा गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केन्द्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944, की धारा 5ए(1) के तहत जन हित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरें “प्रभावी दरों” के रूप में जानी जाती हैं। छोड़े गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है और 2016-17 के बजट तक निम्नलिखित तरीके से गणना की गई थी:

- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ और शुल्क की प्रभावी दरें यथा मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट की जाती हैं - **छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य x (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर यथामूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है

तब - **छोड़ा गया राजस्व = (सामान का मूल्य x शुल्क की टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा x विशेष शुल्क की प्रभावी दर)**

- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर और प्रभावी दर यथामूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, तो परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहां शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, तो छोड़ा गया राजस्व शून्य होगा।

बजट से विव18 के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभावों की गणना के लिए पद्दति को संशोधित किया गया था। बिना शर्त अधिसूचनाएं द्वारा लगाई गई दरों को वास्तविक टैरिफ दरों के रूप में माना गया था और छोडे गये राजस्व की गणना से बाहर किया गया था। छोड गया राजस्व तब केवल छूट की शर्त के कारण था जो टैरिफ दरों अथवा वास्तविक टैरिफ दरों को समझ कर दरों पर स्वीकृत किया गया था।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान-छोड़े गये राजस्व से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़े जैसा कि संघ सरकार के बजट दस्तावेजों में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: केन्द्रीय उत्पाद प्राप्तियां और कुल छोड़ा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां $	छोड़ा गया राजस्व*	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में छोडा गया राजस्व
विव14	1,69,455	1,96,223	115.80
विव15	1,89,038	1,96,789	104.10
विव16	2,87,149	79,183	27.58
विव17	3,80,495	71,164	18.70
विव18	2,58,636	-	-

स्रोत: $संघ वित्तीय लेखे, विव18 के लिए अंनतिम आकड़े। संघ प्राप्तियां बजट। विव18 के बजट दस्तावेज में पुनरावृति और प्रतिलिखित के रूप में विव16 और 17 के आकड़े।

विव19 के प्राप्ति बजट में, सरकार ने सूचित किया है कि उत्पाद शुल्क को जीएसटी[12] में शामिल कर लिया गया है, उत्पाद शुल्क के लिए कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को विव18 से बंद कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व प्रभाव की छूट विव20 के बजट के बाद से दी जाएगी।

1.10 वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर राजस्व

बजट दस्तावेजों का अध्ययन यह दिखाता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के लिए छोडे गये राजस्व का ब्यौरा विव07 के बजट से आरंभ होने वाले सबंधित बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष ससंद के समक्ष रखा जाता है। तथापि, सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। 2014 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 06 के पैराग्राफ सं. 1.12 में बताए गये समान मुद्दे के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि पर्याप्त डाटा की अनुपस्थिति के कारण आंकडे अनुरक्षित नहीं रखे जा रहे हैं।

इसी प्रकार के मामले को कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा जांच की गई थी और अपने तृतीय प्रतिवेदन में (नवंबर 2014) सेवा कर के लिए यह उल्लिखित किया कि, विभाग को छोडे गये राजस्व आंकडों का अनुमान लगाने के तरीकों पर विचार करना चाहिए और अन्तर विश्लेषण करें।

तथापि, इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि सेवा कर के अन्तर्गत छोडे गये राजस्व को विभाग द्वारा परिकल्पित नहीं किया गया था।

1.11 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में कर आधार

"निर्धारिती" से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो कर उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निर्माता अथवा विनिर्माता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए दायी है अथवा निजी वेयर हाऊस जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं संग्रहीत की जाती हैं वाला पंजीकृत व्यक्ति और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 2002 के नियम 2 (सी) में परिभाषित अनुसार ऐसे व्यक्ति के अधिकृत

---

12 तंबाकू उत्पादों और पांच पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैर और वायु टरबाईन ईंधन, को छोडकर)

एजेन्ट को शामिल करता है, अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो सेवा कर का भुगतान करने के लिए दायी हो और उसके ऐजेन्ट को वित्तीय अधिनियम, 1994 (यथा संसोधित) की धारा 65(7) में परिभाषा के अनुसार शामिल करता है।

जीएसटी के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(107) के अनुसार, 'कर योग्य व्यक्ति' वह व्यक्ति है जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 अथवा धारा 124 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना हों।

तालिका 1.10 सीबीआईसी के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के डाटा को दर्शाता है।

तालिका 1.10: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और जीएसटी में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या (सीई)	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या (एसटी)	कुल निर्धारिती (सीएक्स एवं एसटी)	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या (जीएसटी)	पुर्व वर्षों से प्रतिशत वृधि
विव14	4,35,213	22,73,722	27,08,935		-
विव15	4,67,286	25,26,932	29,94,218		10.53
विव16	4,98,273	28,28,361	33,26,634		11.10
विव17	5,27,534	31,60,281	36,87,815		10.86
विव18 (जून 17)	5,39,203	32,47,480	37,86,683		-
विव18 (मार्च 18)	5,39,725	32,48,014	37,87,739	1,05,05,913	-

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गये आंकडे।

यह देखा गया है कि सभी पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या बढ़ गई है। जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या 31 मार्च 2018 को 1,05,05, 913 थी। लेकिन जीएसटी कर आधार के साथ उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अन्तर्गत कर आधार तुलनात्मक नहीं है। ऐसा इस तथ्य के कारण से है कि जीएसटी पंजीकरण में राज्य वैट व्यवसाय के पंजीकृत निर्धारिती जो अब जीएसटी में चले गये हैं की शामिल है। 1,05,05,913 निर्धारितियों में से 41,16,360 नये निर्धारितियों ने भी जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण करवाया है। जीएसटी के कुल पंजीकृत निर्धारितियों को सीबीआईसी और राज्य कर विभागों के मध्य विभाजित कर दिया गया है। ऐसे

विभाजनों का आधार है कि सभी निर्धारिती जो ₹ 1.5 करोड़ से कम जीएसटी भुगतान कर रहे हैं को राज्य और केन्द्र के मध्य 90:10 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है और परिर्वतित निर्धारिती जो ₹ 1.5 करोड़ से अधिक का भुगतान कर रहे हैं और नये निर्धारिती उन्हे राज्य और केन्द्र के मध्य 50:50 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। तदनुसार, 31 मार्च 2018 को, सीबीआईसी प्रशासन के अधीन जीएसटी पंजीकरणों की कुल संख्या 32,11,352 थी।

1.12 अपंवचन-रोधी उपायों से राजस्व उगाही

दोनों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सतर्कता के महानिदेशक (डीजीसीईआई) (अब वस्तुएं एवं सेवा कर सतकर्ता के महानिदेशक) के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर कमिश्नरियों का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की अपंवचन के मामलों की पहचान के कार्य में अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका है। जबकि कमिश्नर, अपने अधिकार क्षेत्र और क्षेत्र में उपस्थित इकाईयों के बारे में अपने व्यापक डाटा बेस के साथ शुल्क के अपवंचन के प्रति सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है, डीजीसीईआई पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में निर्दिष्ट आसूचना को एकत्रित करने में विशेषज्ञ है। जो आसूचना एकत्रित हुई है उसे कमिश्नरियों के साथ सांझा किया जाता है। संपूर्ण भारत पर होने वाले असर के मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच पंडताल की जाती है। तालिका 1.11 पूर्व तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11: पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में डीजीसीईआई के अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			सेवा कर		
	पहचान		जांच पडताल के दौरान स्वैच्छिक भुगतान	पहचान		जांच पडताल के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	राशि	मामलों की संख्या	राशि	राशि
विव16	2,366	5,297	804	7,519	18,971	4,658
विव17	2,127	5,773	795	8,085	17,846	5,313
विव18	903	6,440	359	5,319	24,243	3,564

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया कि विव18 में डीजीसीईआई द्वारा पहचाने गये मामलों के संख्या विव17 की तुलना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 2,127 से 903 और सेवा कर में 8,085 से 5,319 तक घट गई है। यद्धपि शामिल राशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 5,773 करोड़ से ₹ 6,440 करोड़ और सेवा कर में ₹ 17,846 करोड़ से ₹ 24,243 करोड़ तक वृद्धि हुई है। जांच पड़ताल के दौरान स्वैच्छिक भुगतान तथापि, केन्द्रीय उत्पाद में ₹ 795 करोड़ से ₹ 359 करोड़ (54.84 प्रतिशत) और सेवा कर में ₹ 5,313 करोड़ से ₹ 3,564 करोड़ (32.91 प्रतिशत) तक कम हुआ है।

1.13 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

ऐसी विभिन्न पद्धतिया है जिस के द्वारा देय राजस्व, जिसका भुगतान करदाता द्वारा नहीं किया गया है, को विभाग एकत्रित करता है। इन पद्धतियों में, विवरणी की संविक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, न्यायिक निर्णय आदि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणामों को तालिका 1.12 में दिखाया गया है।

तालिका 1.12: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूला गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय प्रयास	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर	
		विव17 के दौरान वसूली	विव18 के दौरान वसूली	विव17 के दौरान वसूली	विव18 के दौरान वसूली
1.	आंतरिक लेखापरीक्षा	304	219	500	386
2.	अपवंचन-रोधी	382	159	1,620	1,153
3.	मांग की पुष्टि	1,043	577	650	897
4.	पूर्व जमा	368	575	525	502
5.	विवरणियों की जांच	291	77	234	179
6.	डिफॉल्टर्स से रिकवरी	3,486	1,093	1,106	470
7.	अनन्तिम निर्धारण	64	11	3	9
8.	अन्य	174	125	379	425
	कुल	**6,112**	**2,836**	**5,017**	4,021

स्रोत:- मंत्रालय द्वारा आकड़े प्रस्तुत।

विव18 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का कुल संग्रहण क्रमश: ₹ 2,58,636 करोड़ और ₹ 81,229 करोड़ था। जिसमें से केवल ₹ 2,836 करोड़ (1.09 प्रतिशत) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में और सेवाकर में ₹ 4,021 करोड़

(4.95 प्रतिशत) विभागीय प्रयासों के कारण वसूल किया गया था। इसी प्रकार विव17 एवं विव18 के लिए तालिका 1.12 में अपवंचन-रोधी के अन्तर्गत दिखाये गये राजस्व संग्रहण के आकड़े तालिका 1.11 में दिखाई गई उसी श्रैणी से संबंधित राशि के साथ नहीं मिलते है।

1.14 संग्रहण की लागत

तालिका 1.13 राजस्व संग्रहण के साथ-साथ संग्रहण की लागत को दर्शाती है।

तालिका 1.13: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियां और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	जीएसटी (सीजीएसटी + आईजीएसटी) से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
विव14	1,69,455	1,54,780		3,24,235	2,635	0.81
विव15	1,89,038	1,67,969		3,57,007	2,950	0.83
विव16	2,87,149	2,11,415		4,98,564	3,162	0.63
विव17	3,80,495	2,54,499		6,34,994	4,056	0.64
विव18	2,58,636	81,229	4,44,197	7,84,062	5,249	0.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे। विव18 के आंकड़े अंनतिम है।

कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संग्रहण की लागत विव17 में 0.64 प्रतिशत से विव18 में 0.67 प्रतिशत तक बढ़ गई है।